

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940 No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

सा.का.नि. 205(अ).— ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 4 फरवरी, 2019 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 88(अ), तारीख 4 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, पंद्रह दिन की अविध के अवसान के पूर्व, आपत्ति और सुझाव आंमित्रत किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों पर विचार करने के लिए जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

1554 GI/2019 (1)

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में, नियम 96 के उपनियम (1) में, खंड (i) के उपखण्ड (क) में, "कोष्ठकों में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एक्स. 11014/3/2019 –डीआर] सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

िटप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ), तारीख 6 मार्च, 2019 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

G.S.R. 205(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published as required under sub-section(1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 88(E), dated the 4th February, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of Official Gazette were made available to the public on the 5th February, 2019;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 96, in sub-rule (1), in clause (i), in sub-clause (A), the words "in brackets" shall be omitted.

[F. No.X.11014/3/2019-DR] SUDHIR KUMAR, Jt. Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 186(E), dated the 6th March, 2019